न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 46/2013

अनवान :

1. कासम पुत्र यासीन खॉ कौम कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. इकबाल खॉ पुत्र श्री सफी मोहम्मद जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—वादीगण

बनाम

1. बख्तावरी बेवा अजीज जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. मलक मोहम्मद } पिसरान अजीज जाति कुम्हार/मुसलमान
3. सुलतान } निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा
4. बशीर खॉ पुत्र जीवण खॉ जाति लूहार निवासी वार्ड नं0 19 भादरा
5. कृष्णा पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी गणेशपुराबास भादरा
6. बरकत पुत्र खेरदीन जाति लूहार/मुसलमान निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील प्रेम प्रकाश झोरड़: **वादीगण**

वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 18/12/18

वादी के दावा के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता यासीन खॉ व सफी मोहम्मद व दादा भादर की आज से 100 वर्ष पहले की रौही मौजा भादरा में 15 बीघा खाम बंजर भूमि को नौतोड करके काबिल काश्त बनाई हुई थी। जिसे पिछले 100 वर्षो से पहले वादीगण के पूर्वज व अब वादीगण के कब्जे काश्त मे है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2020 में वादीगण के पिता का नाम दर्ज है। उक्त भूमि राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट लागू होने के बाद चक 10 बारानी के मु0 नं0 20 के किला नं0 3 ता 7, मु0 नं0 11 के किला नं0 23 ता 25, मु0 नं0 42 के किला नं0 4 में दर्ज हो गई है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही है महज रिकार्ड मे उनके नाम दर्ज है उन्होने कब्जा कभी प्राप्त नही किया है। अतः वादी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

जरिये घोषणा प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के मजाज है। प्रतिवादीगण वादीगण को वाद भूमि पर बेदखल करने की धमकी देते है इसलिए उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो की वे वादीगण के कब्जा काश्त में ताकत के बल पर मदाखलत व मजाहमत बेजा ना करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण की तलबी किये जाने पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित आकर जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त दावाधीन भूमि कभी भी वादीगण या उनके पूर्वजो के नाम दर्ज नही रही ना ही उनके कब्जा काश्त मे रही। वाद भूमि से वादीगण का कोई सम्बंध नही है। यदि वाद भूमि वादीगण के पूर्वजो द्वारा नौतोड की हुई होती तो भूमि का खसरा नं0 व उसका आसा–पास अवश्य दर्ज करते। वादीगण ने भादर के सभी वारिसान को पक्षकार दर्ज नही किया है। वादीगण ने बदनियति व लालचवश बिना कोई कानूनी अधिकार के महज प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने के लिए मौजूदा दावा किया है। खसरा गिरदावरी कोई अधिकार अभिलेख नही है और ना ही उक्त गिरदावरी कोई आधारभूत गिरदावरी है ना ही उसमे काश्तकार की खातेदारी होने का सबूत है। प्रतिवादी सं0 6 बरकत खाता हाजा में 120 हिस्सा का संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने अपने दावा मे यह नही लिखा कि वे प्रतिवादी नं0 6 को किन किलेजात में कब्जा करने से रोकना चाहते है। चक 10 बारानी का एकीकरण कार्य पैण्डिंग है ऐसे में जो काश्तकार यहां काबिज है और जिनके नाम जिस प्रकार से रिकार्ड माल मे दर्ज है उसे एकीकरण कार्यवाही के सम्पन्न होने से पूर्व किसी प्रकार बाधित नही किया जा सकता क्योकि एक खाते का रिकार्ड तब्दिल होने से सभी खातेदारो का रिकार्ड तब्दिल होना आवश्यक होगा जो किसी प्रकार से कानून सम्मत नही है। इसलिए दावा वादी काबिल खारिजी के है।

यह कि अदालत हाजा द्वारा अभिवचनो व दस्तावेजो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1- आया वादीगण के पिता यासीन खॉ व सफी मोहम्मद व दादा भादर की आज से 100 वर्ष पहले की रौही मौजा भादरा में 15 बीघा खाम भूमि नौतोड की हुई थी व उन्ही के कब्जा काश्त मे थी?

–वादीगण

2- आया राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट लागू होने के बाद उक्त भूमि चक 10 बारानी के मु0 नं0 20 के किला नं0 3 से 7 व मु0 नं0 10 के किला नं0 23 से 25, मु0 नं0 42 के किला नं0 4 में दर्ज हो गई?

–वादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा(हनु.)

3- आया वाद भूमि लगातार वादीगण के कब्जा काश्त मे चली आ रही है प्रतिवादीगण के नाम महज रिकार्ड मे दर्ज है तथा वादीगण वाद भूमि के ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है?—वादीगण

4- आया वादीगण ने भादर के सभी वारिसान को दावा हाजा मे पक्षकार नही बनाया है इसलिए दावा वादीगण कानूनी नूक्स होने के कारण चलने के योग्य नही है?—प्रतिवादीगण

5- अनुतोष

साक्ष्य वादी में पीडब्लयू 1 इकबाल खॉ के बयान करवाये गये दस्तावेज साक्ष्य में इस गवाह ने जमाबंदी चक 10 बारानी सम्वत् 2062 से 65 खाता सं0 9/97 Exp1, खाता सं0 50/41 Exp2, खाता सं0 52/43 Exp3, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 34 Exp4, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 20 Exp5, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 34 Exp6, खसरा गिरदावारी सम्वत् 2018 से 20 Exp7, प्रदर्शित करवाई और वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य पेश ना करना जाहिर करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु मुकर्र की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 1 सुलतान, डीबल्यू 2 बशीर खॉ के बयान करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिनोटिस की धारा 13ए बशीर खॉ EXD1 प्रमाणित प्रति अलॉटमेन्ट आदेश मामदीन वल्द किमू, EXD2 प्रमाणित प्रति जमाबंदी भू–प्रबंधक विभाग सम्वत् 2029 से 38 खाता नं0 42, EXD3 व खाता नम्बर 39, EXD4 असल पर्चा सैटलमेन्ट विभाग अजीज खॉ, EXD5 जमाबंदी सम्वत् 2054, EXD6 जमाबंदी सम्वत् 2058 खाता सं0 9/97, EXD7 खाता सं0 21/11 सम्वत् 2070, EXD8 व चित्रप्रति बैयनामा किलमूदीन प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाई। प्रतिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश ना करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु मुकर्र की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसमें उन्होने दर्ज किया की डीडब्ल्यू 1 सुलतान ने अपनी जिरह मे स्वीकार किया है कि उक्त रकबा रिफिटिंग से प्रभावित है और इकबाल आदि किन किला पर काबिज है मै नही बता सकता अपने पिता द्वारा खातेदारी दर्ज करवाने का कथन करता है कब करवाई इस बाबत ध्यान नही होने का कथन करता है इस प्रकार साक्षी के कथन मिथ्या है व विश्वसनीय नही है तथा विरोधाभाषी कथन किये है जो पठनीय नही है उक्त चक रिफिटिंग से प्रभावित चक है ऐसी सुरत मे राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि रिफिटिंग प्रभावित चक में जो काश्तकार जिस जगह काबिज है एवं काश्त कर रहा है उसी पर काबिज रहेगा इस प्रकार वादी का वाद साबित है डिक्री फरमाया जावें। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा

सहायक कलक्टर
(... टेक)भादरा(हनु.)

2014(2)आर आर टी पेज 1374, 2012(2)आर आर टी पेज 1079, 2017(2)आर आर टी पेज 1102 की नजीरे पेश की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो का बगौर अध्यन किया व प्रस्तुत नजीरो से मार्गदर्शन प्राप्त किया। तनकी अनुसार निर्णय इस प्रकार है:-

तनकी नं0 1 :- इस तनकी को साबित करने का भार सबूत वादीगण पर था। वादीगण ने दावा मे कथन किया है कि वादीगण के पिता यासीन खॉ, सफी मोहम्मद व दादा भादर की आज से 100 वर्ष पहले की रोही मौजा भादरा में 15 बीघा खाम भूमि नौतोड की हुई थी। इस सम्बध में वादीगण द्वारा अपने अर्जीदावा में लिखित कथनो के अलावा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया है इसके अलावा वादी ने अपने दावा या मुख्य परीक्षा के कथनो में यह नही बताया है कि उनके पूर्वजो द्वारा किस खसरा की खाम भूमि को नौतोड कर काश्त करना शुरू किया था। साक्ष्य मे केवल मात्र पीडब्ल्यू 1 वादी इकबाल पेश हुआ है, जिसने दावा मे दर्ज कथनो को ही अपनी मुख्य परीक्षा मे दर्ज किया है तथा जिरह में उसने बताया कि जब भूमि नौतोड़ की तब खसरो मे होनी बताई है लेकिन खसरा नम्बर उसे पता नही है। इस गवाह ने जिरह मे यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता व दादा के नाम खसरो मे जमीन होने का कोई रिकार्ड उसके द्वारा दावा में पेश नही किया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड जो की कर्मबद्ध तरीके से नियमित तौर से तैयार होता है ऐसी दशा में 100 साल की अवधि में कभी भी वादीगण के पूर्वजो के नाम किसी भी दस्तावेज में काश्तकार की किसी भी श्रेणी में दर्ज ना हो यह सम्भव नही हो सकता। यदि वास्तव में वादीगण के पूर्वजो द्वारा भूमि नौतोड की हुई होती और 100 साल से लगातार कब्जे मे होती तो निश्चित तौर से किसी न किसी राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वजो का नाम अवश्य दर्ज होता। ऐसी दशा में केवल मात्र वादी के मौखिक साक्ष्य के आधार पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार से वादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहे है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी नं0 2 :- इस तनकी को साबित करने का भार सबूत वादीगण पर था। वादीगण का दावा मे कथन है कि उक्त भूमि चक 10 बारानी के मु0 नं0 20 के किला नं0 3 ता 7, मु0 नं0 11 के किला नं0 23 ता 25, मु0 नं0 42 के किला नं0 4 में पैमूद हुई। सर्वप्रथम तो वादी को अपनी पुरानी खाम भूमि के खसरा नम्बर अपने दावा मे बताने थे लेकिन वादी ने खसरा नम्बर ना बताकर " उक्त भूमि " शब्द का इस्तेमाल किया है। " उक्त भूमि " अर्थात कौनसी भूमि मुरब्बा किला में दर्ज हो गई व किस खसरा की भूमि का कौनसा मुरब्बा किला बना यह

सहायक कलक्टर
ट्रेक)भादरा(हनु.)

कंही भी अपनी दावा या साक्ष्य में स्पष्ट नही किया है। जिरह में भी पीडब्ल्यू 1 ने जिरह में बताया है कि उसके द्वारा भूमि खसरो से मुरब्बा किला तब्दीली की कोई तब्दीली तालिका पेश नही की है। ऐसी स्थिति में यह साबित नही होता है कि वादी द्वारा 100 वर्ष पहले 15 बीघा खाम भूमि नौतोड करनी बताता है वंही खाम भूमि मौजूदा दावाधीन 9 बीघा वाद भूमि में पैमूद हुई हो। इस प्रकार से वादीगण इस तनकी को भी साबित करने में असफल रहे है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी नं0 3 :— इस तनकी को साबित करने का भार सबूत भी वादीगण पर था। वादीगण ने दावा में वाद भूमि लगातार अपने कब्जा काश्त में होना बताया है लेकिन इसके सम्बंध में उसके द्वारा स्वंय पीडब्ल्यू 1 इकबाल की साक्ष्य के अलावा और कोई साक्ष्य पेश नही की गई है ना ही वादीगण द्वारा अपने दावा या साक्ष्य में भूमि की पहचान जैसे खसरा नम्बर, खेत के अडौसी—पडौसी के नाम, खेत की लम्बाई—चौडाई, खेत की मौका की स्थिति आदि के बारे में कुछ भी साक्ष्य पेश नही की है। इस बाबत उसके द्वारा सम्वत् 2018 से 20 की महज गिरदावरियां पेश की गई है जिसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की गई है जिनमें वाद भूमि प्रतिवादीगण के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज रही थी जो वर्तमान में उनके नाम खातेदारी दर्ज है ऐसे में जमाबंदी जो की अधिकार अभिलेख है वह खसरा गिरदावरी से अधि प्रभावी है क्योकि खसरा गिरदावरी महज रैन्ट वसूलने के प्रयोजन से तैयार की जाती है इसलिए खसरा, गिरदावरी से कोई अधिकार सर्जित नही हो सकते। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरो मे भी माननीय उच्चतम न्यायालय व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी यही मत प्रतिपादित किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण इस तनकी को भी साबित करने मे असफल रहे है इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी नं0 4 :— इस तनकी को साबित करने का भार सबूत प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण ने भादर के सभी वारिसान को दावा मे पक्षकार दर्ज नही किया है। क्योकि स्वंय वादी वाद भूमि यासीन, सफी मोहम्मद व भादर द्वारा अर्सा 100 वर्ष पहले नौतोड करने का कथन लेकर आये है। जिरह में पीडब्ल्यू 1 इकबाल ने स्वीकार किया है कि जमीन को 100 वर्ष पहले मेरे दादा भादर ने नौतोड की थी। भादर के चार बेटे क्रंमशः सदीक, सफी मोहम्मद, यासीन, फूलमोहम्मद हुये थे। चारो फौत हो चुके है जिनके वारिसान मौजूद है। यासीन खॉ के तीन लडके कासम, मुन्शी व सरीफ व एक लडकी मौजूद है, सफी मोहम्मद के मै व मोहम्मद अली व एक बहन हुई थी। इस प्रकार वादी स्वंय स्वीकार करता है कि भादर के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

वादीगण के अलावा अन्य वारिसान भी मौजूद है जिनको दावा में वादी या प्रतिवादी दर्ज नही किया गया है लेकिन मौजूदा दावा केवल कासम पुत्र यासीन खॉ व इकबाल पुत्र सफी मोहम्मद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जमाबंदी Exp1 खाता नं0 9/97 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसमें मुश्तर्का खाता में प्रतिवादी सुमित्रा देवी, बरकत के नाम के अलावा उमरदीन 150 हिस्सा, ईलमदीन 30 हिस्सा पिसरान अशरफ अली कौम कुम्हार के नाम से भी खातेदारी दर्ज है तथा इस खाता की खातेदारी मे से मु0 नं0 11 के किला नं0 24, 25 व मु0 नं0 42 का किला नं0 4 विवादित है लेकिन प्रतिवादी द्वारा उमरदीन व इलमदीन को भी पक्षकार दर्ज नही किया गया है उक्त खाते मे दर्ज तीन किला की भूमि बरकत व सुमित्रा को मिली हो, ऐसा नही माना जा सकता क्योकि खाता मुश्तर्का है इस प्रकार से वादी ने दावा में आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार दर्ज नही किया है तथा दावा में उक्त लोगो को बिना पक्षकार दर्ज किये प्रभावी डिक्री पारित नही हो सकती और दावा में असंयोजन का नुक्स आरिज है। उपरोक्त प्रकार से प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने मे सफल रहे है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण का चक 10 बारानी के मु0 नं0 20 के किला नं0 3 से 7, मु0 नं0 11 के किला नं0 23 से 25 व मु0 नं0 42 के किला नं0 4 के साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....18/12/18.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 46/2013

अनवान :

1. कासम पुत्र यासीन खॉ कौम कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. इकबाल खॉ पुत्र श्री सफी मोहम्मद जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—वादीगण

बनाम

1. बख्तावरी बेवा अजीज जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. मलक मोहम्मद } पिसरान अजीज जाति कुम्हार/मुसलमान
3. सुलतान } निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा
4. बशीर खॉ पुत्र जीवण खॉ जाति लूहार निवासी वार्ड नं0 19 भादरा
5. कृष्णा पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी गणेशपुराबास भादरा
6. बरकत पुत्र खेरदीन जाति लूहार/मुसलमान निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रेक) भादराके समक्ष के समक्ष वकील वादीगण श्री प्रेम प्रकाश झोरड़ एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु पेश होने पर वाद वादीगण साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.12.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायाल की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़